

06/2014 अंबरलाल - मालीराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

19-2-21

पुनर्वच: पत्रावली अपील
 इमील जे सुक म खासि 21/2/2014

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपरिथत होकर जाहिर किया कि जो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनावण पया प्रकरण फेरसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।



406
 पुनर्वच अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

मीला (मात)
 उक्त अपील चलाना नही चाहते
 म
 मुझे कापसी नही है
 अतिरिक्त वे (मातें 2014)
 एम. ए. एम. एम.